न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 03/2013

आरसीएमएस नं. 2013/00280

साहबराम पुत्र महीपत जाति जाट निवासी भौरूछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

[illegible]सी पुत्र महीपत जाति जाट निवासी भौरूछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

-- रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा,
दिनांक 09.11.2012, प्र. सं. 46/2012

उपस्थितिः–

श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी,

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 23.06.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने <u>अपीलाण्ट/प्रार्थी</u> ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि दरख्वास्त की मद नं0 2 में दर्ज आराजी में सायल का व गै[illegible] वर्णितानुसार हक हिस्सा है। सायल अपनी कृषि भूमि को [illegible] करना चाहता है लेकिन गैरसायल अच्छी किश्म की भूमि [illegible] लेता है [illegible] अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होकर उसे विक्रय कर[illegible]र आमादा है और [illegible] उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र की मद नं0 2 में वर्णित संयुक्त खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की कृषि भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होकर रहन बैय विक्रय नहीं करने और नही किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा देने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायायल ने अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें रेस्पोडेण्ट अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज होकर उसका बेचान करना चाहता है। कानून में ऐसा कहीं प्रतिबाधित नही है कि किसी सह काश्तकार को अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय करने से ना रोके। जैसाकि आरआरडी 2002 पेज 744 में सुस्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि खातेदार सह कृषक के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है यदि कृषि भूमि अन्यत्र रहन बैय का खतरा हो। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर बिन्दुवार निर्णय नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2010 (3) सीसीसी पेज 377 का न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट खातेदार काश्तकार है। कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्ध सह खातेदार रहन बैय आदि के समबन्ध में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकता है। सायल को पूर्ण ज्ञान है कि गैर सायल ने अपने हिस्सा की भूमि पहले से ही एसबीबीजे शाखा डाबड़ी के रहन रखी हुई है एवं कर्जा समय पर अदा नहीं कर पाने के कारण के उसके हिस्सा की भूमि कुर्क कर निलाम होने वाली है। कि गैरसायल चाहता है कि अपनी खातेदारी भूमि का कुछ हिस्सा विक्रय कर बैंक का कर्जा अदा कर दे। लेकिन सायल गैरसायल की खातेदारी निलामी में आने वाले दामों में विक्रय करवाने पर तुला हुआ है इस प्रकार अपीलाण्ट ने यह प्रार्थना–पत्र एवं अपील दुराश्यपूर्वक पेश की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विवादित भूमि उभयपक्ष की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है तथा प्रार्थी ने विवादित भूमि को रहन व मुन्तकिल नहीं करने व किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा नहीं संभलाने का अनुतोष अपने आवेदन चाहा है। कानूनन संयुक्त खाता की कृषि भूमिं प्रत्येक सह काश्तकार को अपना हिस्सा विक्रय करने की स्वतंत्रता है। आरआरडी 2002 पेज 744 में सुस्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि खातेदार सह कृषक के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है यदि कृषि भूमि अन्यत्र रहन बैय का खतरा हो। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के विशिष्ट भू भाग को अन्यत्र रहन बैय करने का खतरा है इसलिए रेस्पोडेण्ट को पाबंद किया जाना उचित है कि वह विशिष्ट भू भाग का बेचान नहीं करे लेकिन रेस्पोडेण्ट अपने हिस्से का बेचान करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2012 निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि रेस्पोडेण्ट किसी विशिष्ट भू भाग का बेचान नहीं करे लेकिन वह अपने हिस्से का बेचान करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावें पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested

23/6/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़